प्रश्न सं. [क्र. 3122]

कार्यालय कलेक्टर जिला- बैतूल, (म०प्र0)
विधान सभा प्रश्न क्रमांक 3122 तारकित प्रश्न "क"
परिशिष्ट "अ"

आवासीय कॉलोनी ड्रीमलैंड सिटी में आतरिक विकास कार्य पूर्ण न करने पर कालोनाईजर रामदेव बाबा वास्को डेवलपर्स के विरूद्ध कृत कार्यवाही की जानकारी निम्नानुसार है :-

1- पेयजल नाली एवं संडक का शतप्रतिशत कार्य पूर्ण नही किया गया है ।अनुविभागीय अधिकरी (रा) मुलताई द्वारा रा०प्र०क्र० 111 बी 121 वर्ष 2012-13 मे भूखंडधारी द्वारा की गई शिकायत का जांच प्रतिवेदन दिनांक 17.03.2015 प्राप्त होने पर कलेक्टर बैतूल द्वारा दिनांक 20.04.2015 को कालोनी का प्रबंधन में ले कर,नगर पालिका मुलताई को कालोनी का प्रबंधन सौंपा गया है।

2- दिनांक 17.11.2015 को कलेक्टर द्वारा कालोनईजर द्वारा नगर पालिका के पास बंधक रखे गये 198 प्लाट, पार्क / रोड की भूमि को छोड कर शेष प्लाट विक्रय की अनुमति प्रदान की गई ।

3- इसके उपरान्त एक भू-खडधारी द्वारा म.प्र. भू सम्पदा विनिमक प्राधिकरण (रेरा) मे शिकायत प्रस्तुत करने पर रेरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.01.2020 के परिपेक्ष्य मे कलेक्टर जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 11.06.2020 मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुलताई, कालोनी के अपूर्ण कार्य, बंधक रखे गये प्लाट विक्रय कर, अपूर्ण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये ।

4- उक्त रेरा के आदेश के विरूद्ध कालोईजर द्वारा भू-संपदा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण भोपाल मे अपील प्रस्तुत की गई जिसमे 22.7.2020 में आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया गया । कालोनाईजर द्वारा रेरा द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध म0प्र0 रियलस्टैट अपीलिएट ट्रिव्यूनल भोपाल मे प्रस्तुत अपील में ट्रिव्यूनल द्वारा दिनांक 28.03.2022 को रेरा के आदेश को निरस्त कर, अपीलकर्त्ता कालोनाईजर को जबाब दाखिल करने का अवसर देकर नये सिरे से शिकायत का निराकरण करने के निर्देश दिये गये ।

5- उक्त करणों से कलेक्टर बैतूल के पत्र क्रमांक 11.06.2020 अनुसार कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

6- अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई द्वारा दिनांक 19.12.2022 को जिला कलेक्टर को जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है ,जिसके अनुसार कार्यवाही करने हेतु जिला अपर कलेक्टर बैतूल द्वारा दिनांक 02.1.2023 को नियमो के परिपक्ष्य मे नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश के साथ प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई को वापस किया ।

7- दिनांक 23.01.2023 को पुनः अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई द्वारा एक प्रतिवेदन प्रेषित किया गया जो नियमानुसार न होने से दिनांक 06.2.2023 को अनुविभागीय अधिकारी (रा) को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु वापस प्रस्तुत किया गया है।

अपर कलेक्टर
बैतूल

नगरीय प्रशासन एवं विकास
आयुक्त, भोपाल

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

उपयंत्री
संचालनालय
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र. भोपाल